

सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रेथनिंग - SSS के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यान्वयन समिति (SIC) दिनांक: 27 दिसम्बर 2019 को अपरान्ह 04:30 बजे योजना भवन में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त-

दिनांक: 27 दिसम्बर 2019 को अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में केन्द्रीय सेक्टर की योजना सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रेथनिंग- SSS के अन्तर्गत राज्य कार्यान्वयन समिति (SIC) की आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र०।
3. श्री राम रतन, उपसचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. डा० दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र०।

बैठक में निदेशक, अर्थ एवं संख्या द्वारा SSS योजना के संक्षिप्त विवरण से अवगत कराते हुए संज्ञान में लाया गया कि उक्त योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना का प्रस्तावित कार्य के मद संख्या-9 Advocacy issues viz. Publicity, IEC (Information Education And Communication) to Improve Usage Of Statistical Products And Services के उप मद संख्या (a) Sensitization Workshops/Lecture/Talk By Statisticians/Academicians/Policy Makers तथा उपमद संख्या (c) Advertisement in newspapers, magazines, FM Radio, Websites etc. के अन्तर्गत क्रमशः SDG पर कार्यशाला का आयोजन एवं 7वीं आर्थिक गणना का समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य कार्यान्वयन समिति से पूर्व में अपेक्षित था।

बैठक में निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि 7वीं आर्थिक गणना के प्रचार-प्रसार हेतु MOSPI भारत सरकार द्वारा प्रभाग को मुख्यालय एवं जनपदों हेतु पृथक-पृथक से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है जिससे प्रचार प्रसार के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकें। अतः इससे सम्बन्धित प्रेषित प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र० द्वारा प्रस्तुत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियों को SDG के क्रियान्वयन व मूल्यांकन में भूमिका के प्रति जागरूकता कराये जाने के उद्देश्य से एक-एक दिवसीय, दो कार्यशालाओं के आयोजन पर प्रति कार्यशाला लगभग रू० 2.5 लाख अर्थात् कुल अधिकतम रू० 5.00 लाख व्यय की सीमा तक आयोजन सम्बन्धी प्रस्ताव को राज्य कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यशाला में MOSPI, भारत सरकार, UNICEF, नीति आयोग के साथ मध्य प्रदेश एवं केरल जैसे राज्यों से भी विषय से सम्बन्धित अधिकारियों को वार्ताकार के रूप में आमंत्रित किया जाए, जिससे कार्यशाला के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(डा० दिव्या सरीन मेहरोत्रा)

सदस्य सचिव,

राज्य कार्यान्वयन समिति।

पत्रांक: 08/एस०एस०एस०-40/2015

दिनांक: जनवरी, 24 2020

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन को शासन के पत्र संख्या-80/35-4-2019 टी०सी० दिनांक 25.12.2019 के क्रम में प्रेषित।
3. श्री राम रतन, उपसचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।
4. वैयक्तिक सहायक, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग को निदेशक को सूचनार्थ।
5. उपनिदेशक, व०स०का०स० अनुभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग को परिपालनार्थ।

(डा० दिव्या सरीन मेहरोत्रा)

सदस्य सचिव,

राज्य कार्यान्वयन समिति।